कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर म.प्र.

क्र- पुअ/शाजा/रनि/एमटी/ 667 /2026 दिनांक-30/03 /2026

//निविदा सूचना पत्र//

वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिला शाजापुर में उपलब्ध सूची अनुसार शासकीय वाहनों के पार्ट्स (टायर एवं बैटरी को छोड़कर) एवं मैकैनिकल कार्य (लेबर सहित) करवाये जाने हेतु खुली निविदा निम्न प्रोफार्मा एवं समय सारणी अनुसार https://mptenders.gov.in पर ई-टेण्डरिंग हेतु आमंत्रित की जाती है। ईच्छुक व पात्र निविदाकर्ता पोर्टल पर ऑनलाईन निविदा में सम्मिलित हो सकते हैं।

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
01	जिला शाजापुर हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासकीय वाहनों के मरम्मत/मैकेनिकल कार्य एवं लगने वाले पार्ट्स उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला शाजापुर	10,00,000/-	30,000/-	500/-

क्र.	निविदा विवरण	दिनांक एवं समय	रिमार्क
1	निविदा प्रकाशन दिनांक	30/03/2026	
2	निविदा जमा करने की प्रारंभ दिनांक	31/03/2026 के 11.00 बजे से	
3	निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक	20/04/2026 के 16.00 बजे तक	
4	निविदा खोलने की दिनांक	22/04/2026 के 11.00 बजे	

क्रमांक	वाहन का प्रकार	उपलब्ध वाहन संख्या
1	टाटा 1109 टर्बो ट्रक	02
2	आयशर 1090 जेल वाहन	01
3	टाटा 709	02
4	टाटा 407	04
5	टाटा 207	02
6	महिंद्रा बोलेरो	27
7	महिंद्रा मेक्स	02
8	अर्टिका	01
9	जिप्सी	02
10	मारुति वेन	01
11	मोटरसाईकिल (हीरो,होंडा,अपाचे,पल्सर,प्लेटिना,टीवीएस,एक्टीवा,हंक आदि प्रकार के दो पहिया वाहन)	53

निविदा की सामान्य शर्तें-

1. ईच्छुक फर्म कार्य के संबंध में अधिक विस्तृत जानकारी व निविदा प्रारुप प्रपत्र 500/- रुपये का शुल्क जमा कर रक्षित निरीक्षक कार्यालय शाजापुर से आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।
2. ई-निविदा 02 भागों में ऑनलाईन प्रस्तुत की जावे -
   अ. प्रथम भाग में तकनीकी निविदा होगी जिसमें निविदा प्रपत्र व फार्म एवं निविदा में चाहे गये अन्य सभी दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य है।

ब. द्वितीय भाग में व्यवसायिक निविदा फार्म होगा जिसमें विभिन्न वाहनों की किराया दरें समस्त कर इत्यादि सहित निर्धारित प्रोफार्मा बीओक्यू में ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य है।

3. निविदा में निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य व निविदा की प्रस्तावित राशि का 3 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ई-टेण्डर पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य है।
4. वाहन रिपेयर एवं पार्ट्स की उपलब्धता वाहन में डिफेक्ट आने पर यथास्थान (जहाँ वाहन में खराबी आई है) पर रिपेयर की सुविधा उपलब्ध करानी होगी एवं वाहन में डिफेक्ट आने पर समयसीमा की स्थिति मान्य नहीं होगी वाहन में रिपेयर कार्य तत्काल करना आवश्यक होगा।
5. मरम्मत कार्य एवं पार्ट्स में नये टायर एवं बैटरी शामिल नहीं होंगे।
6. फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन,गुमास्ता कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है संबंधित दस्तावेजो की एक-एक छायाप्रति तकनीकी निविदा में दस्तावेजो के साथ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।
7. निविदा में व्यवस्थाओं के बेहतर समन्वय एवं समय पर सुविधा उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय फर्म को वरीयता दी जावेगी इस हेतु फर्म का कार्यालय जिला शाजापुर में होना अनिवार्य है।
8. सफल निविदाकार को परफार्मेंस ग्यारंटी के रूप में राशि 50,000/- रूपये किसी भी वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद, बैंकर्स चैक बैंक ग्यारन्टी के रूप में "पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर" के नाम से बनवाकर कार्यादेश जारी दिनांक से 10 दिवस के अन्दर रक्षित निरीक्षक कार्यालय में जमा की जाना अनिवार्य है। प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से किया जावेगा। उक्त निष्पादन प्रतिभूति टेण्डर अनुबंध समाप्त होने के बाद लौटाई जाएगी।
9. कार्यालय द्वारा स्वीकृत की गई दर अथवा कम दर पर यदि उस अनुबंध अवधि में कोई अन्य फर्म/एजेंसी द्वारा मरम्मत कार्य समान दर पर किये जाने की स्थिति में हो तो एक से अधिक फर्म/एजेंसी से मरम्मत कार्य कराये जाने एवं भुगतान हेतु कार्यालय स्वतंत्र रहेगा।
10. निविदा मे भारत शासन/राज्य शासन द्वारा ब्लैक लिस्ट की गई फर्म भाग नहीं ले सकेगी बाद मे उक्त बात प्रकाश में आने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
11. कोई भी निविदा किसी भी समय बिना कारण बताये पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर को है। इसमें उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर का होगा।
12. निविदा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, एवं न ही इसमें कोई छूट प्रदान की जावेगी।
13. ऑनलाईन निविदा निर्धारित दिनांक को पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाजापुर में कार्य समिति के समक्ष खोली जावेगी।
14. निविदाकर्ता को प्रतिष्ठान का आयकर, जी.एस.टी. क्रमांक बिल पर अंकित करना होगा एवं वर्तमान में वैध आयकर की प्रति का अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त सभी प्रमाण पत्र अद्यतन होना आवश्यक है।
15. निविदा प्रक्रिया किसी भी समय लोकहित/प्रशासकीय कारण/कानून व्यवस्था ड्यूटी या अन्य किसी भी अपरिहार्य कारणो से स्थगित/शिथिल की जा सकती है।
16. तकनीकी निविदा मे त्रुटी होने पर या दस्तावेजो मे कमी होने पर न्यूनतम दर की निविदा स्वीकृत करने के लिए कार्य समिति बाध्य नहीं होगी एवं न ही इस संबंध में पत्राचार स्वीकार किया जावेगा।
17. निविदा की दरें टेण्डर अनुबंध दिनांक से प्रभावशील होकर 31.03.2027 तक मान्य होगी। कार्य की गुणवत्ता, एवं समय पर उपलब्धता एवं कार्य की विश्वसनीयता के आधार पर दोनो पक्षों की सहमति से 03 माह या अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है।
18. भुगतान प्रकिया (निविदा में भुगतान की स्थिति):- निविदा में सफल फर्म को कार्य उपरांत देयकों का भुगतान शासन के नियमानुसार समस्त प्रकार के कटौत्रा कर किया जावेगा। यदि संबंधित मद मे बजट उपलब्ध नहीं है तो जब पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध कराया जावेगा तभी देयको का भुगतान किया जाना संभव होगा।
19. यदि आवंटन उपलब्ध है परन्तु किसी भी तकनीकी समस्या या शासन अथवा किसी भी स्तर से बिलों के आहरण आदि पर प्रतिबंध लगाया जाता है या किसी भी प्रकार के अपरिहार्य कारणो से देयको का भुगतान करने मे यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थितियाँ/समस्या आती है तो समस्या का निराकरण होने के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जावेगा तथा कोई भी तथा किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क का भुगतान नही किया जावेगा न ही विलंब के लिए यह कार्यालय जवाबदार होवेगा।
20. निविदाकार का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड संख्या आपस मे लिंक होना आवश्यक है इस संबंध में फर्म के लेटर हेड पर प्रमाण पत्र संलग्न करना एवं आधार कार्ड व पेन कार्ड की छायाप्रति तकनीकी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य है, साथ ही निविदाकार द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत बैंक खाते में भी आधार एवं पैन संख्या दर्ज होना आवश्यक हैं।

21. निविदाकर्ता से समिति द्वारा कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज निविदा खुलने के बाद मांगे जा सकते है जो प्रदाय करना अनिवार्य है।
22. अन्य नियम एवं शर्तें जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, मध्यप्रदेश शासन के वित्तीय नियमो, जीओपी 151/2022 म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के प्रावधानो के अनुसार होगी। इसमें उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक शाजापुर का होगा।

पुलिस अधीक्षक
जिला-शाजापुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vandna Singh
Date: 2026.03.30 15:24:37 IST
Location: Madhya Pradesh-MP